मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 9, 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

डॉ. सुनीलम् तथा श्री आरिफ अकील, सदस्यगण द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया गया कि आज की प्रश्नोत्तर सूची में लगभग 30 प्रश्नों के उत्तर में "जानकारी एकत्रित की जा रही है" लिखा है। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जानकारी दी गई कि सभी प्रश्नों के उत्तर भेजे जा चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि यद्यपि शासन ने सभी प्रश्नों के उत्तर भेज दिए गए हैं लेकिन जो प्रश्न एक दिन पूर्व खानेदार आलमारी में, पृथकतः वितरित किये जा सकते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तर सूची में भी प्रकाशित किया जा सकता है। अतः मैं सरकार को यह निर्देश देता हूँ कि भविष्य में यह सुनिश्चित करायें कि "जानकारी एकत्रित की जा रही है" लिखने की अपेक्षा प्रश्नों के उत्तर प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित रहें।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व मे संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 844) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 49 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार :-

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिला विधानसभा क्षेत्र मऊगंज विकासखंड हनुमना नई गढ़ी में पेयजल की समस्या होने,

(2) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले में ओव्हर लोडेड ट्रान्सफार्मर लगने के कारण ग्रामीण इलाकों में बिजली की परेशानी होने,

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की रीवा जिले के विकासखंड गंगेव के ग्राम देवास में पंचायत द्वारा वृद्धावस्था पेंशन नहीं बांटी जाने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल नगर निगम द्वारा सफाई न किये जाने से गंदगी का साम्राज्य होने,

(5) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की खाचरौद शहर में विगत वर्ष से पेयजल संकट होने,

(6) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों में चकबंदी निरस्त किये जाने,

(7) श्री बोध सिंह भगत, सदस्य की रीवा जिले के ग्राम गुढ़वा, तहसील सिरमोर, पोस्ट व्हाया वेकंठपुर में बिना सर्वे राशन कार्ड बनाये जाने,

(8) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की भिण्ड जिले में पेयजल हेतु बांधों में पानी न रोके जाने तथा

(9) श्री बहादुर सिंह, सदस्य की उज्जैन जिले सहित प्रदेश के अनेक जिलों में शीत लहर से फसल चौपट होने, संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

(10) डॉ. सुनीलम् सदस्य ने प्रदेश के किसानों को गन्ने का समर्थन मूल्य न मिलने संबंधी शून्यकाल की सूचना प्रस्तुत की ।

(श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील सदस्यगण प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 844) पर शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर गर्भगृह में आए तथा कुछ समय पश्चात् अपने स्थान पर वापस गए)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, ऊर्जा मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006,

(ख) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक) एवं

(ग) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 तथा

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 9 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 34-एक-(8)-12-07-दो-अड़तालीस, दिनांक 8 जनवरी, 2008
पटल पर रखे।

5. नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

6. नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन नवम्बर-दिसम्बर, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

7. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित दो विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा तीन विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अत: निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश तेन्दूपत्ता (व्यापार-विनियमन) संशोधन विधेयक, 2007 (क्रमांक 22 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2008) अनुमति दिनांक 16.1.2007.

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 15 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2008) अनुमति दिनांक 14.2.2007.

राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 24 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2007) अनुमति दिनांक 10.12.2007,

(2) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2007 (क्रमांक 25 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2007) अनुमति दिनांक 10.12.2007,

(3) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 26 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 28 सन् 2007) अनुमति दिनांक 12.12.2007,

8. ध्यानाकर्षण

(अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्यसूची में अंकित ध्यानाकर्षण की दो सूचनाओं से संबंधित माननीय सदस्यों के नाम पुकारे गए किन्तु उनकी अनुपस्थितिवश सूचनाएं नहीं पढ़ी जा सकी)

9. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया है :-

(1) श्रीमती सुधा जैन

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री ज्ञान सिंह

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार

(5) डॉ. गोविन्द सिंह

(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

श्री जगदीश मुवेल, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार दिनांक 29 फरवरी, 2008 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित समय अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

अशासकीय संकल्प	**शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008**	**निर्धारित समय**
1. (क्रमांक-3, 3ए)	सर्वश्री राजेन्द्र कुमार सिंह, शंकरलाल तिवारी	50 मिनट
2. (क्रमांक-16)	श्री सज्जन सिंह वर्मा	50 मिनट
3. (क्रमांक-26)	श्री आरिफ अकील	50 मिनट

श्री जगदीश मुवेल, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

डॉ गोविन्द सिंह, सदस्य ने -

(क) भिण्ड जिले के ग्राम झिमका की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाये जाये,

(ख) रीवा जिले के ग्राम देवा (डलियाटोला) में हैंडपंप उत्खनन कराये जाने, तथा

(ग) रीवा जिले के ग्राम देवास में बिजली समस्या हेतु एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत की।

12. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2008 को सम्पन्न हुई, जिसमें वर्ष 2007-08 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण पर चर्चा हेतु 2 घन्टे 30 मिनिट का समय निर्धारित करने की सिफारिश की है।

समिति द्वारा यह भी सिफारिश की गई है कि सभा की शुक्रवार के दिनों में होने वाली बैठकें अब पूर्वानुसार पूर्वाह्न 10.30 बजे से होगी।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अध्यक्ष महोदय ने वित्तीय कार्य पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्यमंत्रणा समिति की जो सिफारिश पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं. "

14. औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा प्रारम्भ करने हेतु प्रस्तावक सदस्य श्री कैलाश चावला का नाम पुकारने पर, उनके अनुपस्थित रहने पर श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य ने औचित्य का प्रश्न उठाया कि "जिस व्यक्ति के नाम से कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए तय हो चुका है वह अगर गैर हाजिर है तो क्या यह माना जाए कि उनका अविश्वास सरकार के प्रति हो गया है या वह अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहते जिसके कारण समर्थक को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है?"

इस पर अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि "कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हो चुका है उस पर बहस प्रारम्भ करना थी। यह कहना सही नही है कि प्रस्तावक सदस्य ने मन से प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया। उनके द्वारा मन से, सशरीर उपस्थित होकर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। किन्ही अपरिहार्य कारणों से आज वह नहीं आए है अतः मैने उनकी अनुपस्थिति में इस प्रस्ताव के समर्थक सदस्य श्री लाल सिंह आर्य को चर्चा प्रारम्भ करने की अनुमति दी है।"

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

15. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य, द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2008 को प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमशः)

(1) श्री लाल सिंह आर्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 15 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन बहुत बड़े होने के कारण पूरे संशोधन को नहीं पढकर केवल उनके प्रस्तावकों के नाम और संशोधन क्रमांक पढ़े गए। तदनुसार सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
श्री रामलखन शर्मा	1
श्री आरिफ अकील	3
श्री सज्जन सिंह वर्मा	4
श्री तुलसीराम सिलावट	6
श्री किशोर समरीते	8
श्री दरबू सिंह उईके	9
श्री हमीद काजी	10
श्री नारायण त्रिपाठी	11
श्री इन्द्रजीत कुमार	12
डॉ. सुनीलम्	13

श्री रामगुलाम उइके	14
डॉ. गोविन्द सिंह	15

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री कैलाश चावला, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ चर्चा प्रारम्भ हुई। इस चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(2) श्री दिग्विजय सिंह

(1.12 बजे से 2.37 बजे तक अन्तराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(3) श्री कैलाश चावला
(4) डॉ. सुनीलम्
(5) श्री रामलखन शर्मा
(6) श्री नानालाल पाटीदार

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

(7) श्री हुकुम सिंह कराड़ा
(8) श्री हुकुमचन्द यादव

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(9) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(11) श्री अंतर सिंह दरबार
(12) श्री सुखदेव पांसे
(13) श्री किशोर समरीते
(14) श्री बृजमोहन धूत
(15) श्री राजनारायण सिंह पूरनी
(16) श्री कपूरचंद घुवारा
(17) श्री आरिफ अकील
(18) श्री मेहरबान सिंह रावत

अपराह्न 5.36 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 29 फरवरी, 2008 (फाल्गुन 10, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.